तमिलनाडु

97. द० आरकोट
98. चंगेलपट्टू
99. तंजावुर
100. धर्मपुरी
101. चिदम्बरनार
102. रामनाथपुरम

उत्तर प्रदेश

103. इलाहाबाद
104. सीतापुर
105. गाजीपुर
106. हरदोई
107. सोनभद्र
108. बलिया
109. मिर्जापुर
110. पिथौरागढ़
111. पौड़ीगढ़वाल
112. अल्मोड़ा
113. बांदा
114. बहराइच

प० बंगाल

115. मदनीपुर
116. कूचबिहार
117. वर्धमान
118. बांकुरा
119. पुरुलिया
120. बीरभूम

विकास खंडों का द्विभाजन

2805. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास को अधिक महत्व देने की दृष्टि से राज्यवार नये विकास खंडों का गठन करने पर विचार कर रही है ताकि बड़े विकास खंडों का द्विभाजन किया जा सके और विकास की गति को तीव्र किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से नये विकास खंडों के गठन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) और (ख) बड़े विकास खण्डों का द्विभाजन और नये खण्डों को बनाना राज्य सरकारों का विषय है। इन खण्डों के सृजन के कारण भी संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

(ग) नये विकास खण्डों के सृजन संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई निधियां

2806. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को किन-किन योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि जिलावार प्रदान की गई; और

(ख) उक्त राशियों को खर्च करने के लिए कौन-कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) जवाहर रोजगार योजना। (3) गहन जवाहर रोजगार योजना, (4) सुनिश्चित रोजगार योजना, (5) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और (6) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हैं। गत वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत रिलीज की गई राशि का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)** तथापि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जिलावार निधियां रिलीज नहीं की जाती हैं। 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 48 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपर्युक्त निधियां खर्च करने के लिए निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार हैं:—

(1) **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम:** जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को रिलीज की गई निधियां समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नियमावली

में निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार खर्च की जानी होती हैं। आबंटन का 20% कार्यक्रम के ढांचे और प्रशासनिक ढांचे के लिए निर्धारित है। आबंटित निधियों का बकाया 80% आर्थिक गतिविधियों के लिए सबसिडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

(2) **जवाहर रोजगार योजना:** इस दौर के अंतर्गत निधियां जिलों को राज्य में अनसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या और उस जिले में कृषि श्रमिकों के प्रति व्यक्ति उत्पादन की तुलना में जिले में ग्रामीण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को समान तरजीह देते हुए पिछड़ेपन के मानदण्ड के आधार पर रिलीज की जाती है। आबंटन का 30% दस लाख कुओं की योजना के लिए निर्धारित है जिसके तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य गरीब लोगों के लिए खुले सिंचाई कुएं, भूमि विकास और लघु सिंचाई कार्य शुरू किए जा सकते हैं। संसाधनों का 10% इन्दिरा आवास योजना के लिए निर्धारित है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य गरीब लोगों को निःशुल्क मकान मुहैया कराए जाते हैं। निर्धारित क्षेत्रों के लिए निधियां अलग से रखने के पश्चात् निधियों का 80% ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को वितरित किया जाना होता है। वे सभी ग्रामीण कार्य, जिनके कारण टिकाऊ स्वरूप की उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन होता हो, योजना के अंतर्गत शुरू किए जा सकते हैं।

(3) **गहन जवाहर रोजगार योजना:** गहन जवाहर रोजगार योजना देश के उन चुने हुए 120 पिछड़े जिलों, जहां बेरोजगारी और अल्परोजगार का बाहुल्य है, में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निधियां उन जिलों को रिलीज की जाती हैं जिनको बाहमासी सड़कों, लघु सिंचाई कार्यों, भूमि और जल संरक्षण कार्यों, जल एकत्रीकरण ढांचों, बंजर भूमि विकास, फार्म वानकी आदि जैसे कार्यों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार का सृजन और क्षेत्र में सूखे के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं, पर निधियां खर्च करने की अनुमति दी गई है।

(4) **सुनिश्चित रोजगार योजना:** सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निधियां गैर-कृषि मौसम के दौरान कार्य स्थलों पर कामगारों की उपस्थिति और पहले से उपलब्ध कराई गई निधियों के उपयोग में प्रगति के आधार पर रिलीज की जाती हैं।

(5) **सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम:** आबंटित राशि को सूक्ष्म वाटरशेड को आयोजना और विकास की एक इकाई के रूप में मानते हुए क्षेत्र विकास पर खर्च किया जाना होता है। वाटरशेड के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय गतिविधियां अर्थात् भूमि संसाधन विकास जल संसाधन विकास, वनरोपण और चरागाह विकास को सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए एक प्राकृतिक संसाधन आधार का सृजन करने हेतु समेकित रूप से शुरू किया जाता है। इस समय कुल आबंटन की 75% निधियां उल्लिखित 3 महत्व पूर्ण क्षेत्र गतिविधियों पर और शेष 25% निधियां लघु क्षेत्र और परियोजना प्रशासन पर खर्च की जाती हैं।

(6) **त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम:** राज्य द्वारा जिलों को निधियां उनकी आवश्यकताओं के आधार पर मुहैया कराई जाती हैं।

विवरण

1993-94 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत मध्य प्रदेश को रिलीज/आबंटित की गई जिलावार केन्द्रीय निधियां

(रुपए लाख में)

क्रमांक	जिले का नाम	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (रिलीज)	जवाहर रोजगार योजना (रिलीज)	गहन जवाहर रोजगार योजना (रिलीज)	समन्वित रोजगार योजना (रिलीज)	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (केन्द्र + राज्य आबंटन)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बालाघाट	114.574	476.70	—	90.00	—
2.	बस्तर	363.650	1255 23	1011.00	320.00	—
3.	बेतूल	99.954	665.24	570.00	300.00	195.75
4.	बिलासपुर	262.168	1127.07	889.00	360.00	—

1	2	3	4	5	6	7
5.	भिण्ड	66.806	252.41	—	—	—
6.	भोपाल	20.548	175.93	—	—	—
7.	छतरपुर	86.464	406.78	—	—	—
8.	छिन्दवाड़ा	129.110	577.32	—	330.00	—
9.	दमोह	73.760	362.77	—	—	—
10.	दतिया	30.338	183.81	—	—	—
11.	देवास	68.386	396.20	—	90.00	—
12.	धार	139.246	761.90	739.00	360.00	192.00
13.	दुर्ग	134.924	645.92	532.00	120.00	—
14.	गुना	91.818	456.08	—	—	—
15.	ग्वालियर	56.792	167.87	—	—	—
16.	होशंगाबाद	117.094	472.88	—	240.00	—
17.	इंदौर	57.656	287.55	—	—	—
18.	जबलपुर	144.116	732.06	560.00	275.00	—
19.	झबुआ	253.996	802.10	327.00	360.00	283.50
20.	खंडवा	105.940	684.37	631.00	120.00	—
21.	खरगौन	186.620	925.01	834.00	420.00	168.75
22.	मंडला	184.150	815.23	737.00	480.00	—
23.	मंदशोर	90.644	399.41	—	—	—
24.	मौरेना	116.214	387.75	—	60.00	—
25.	नरसिंहपुर	58.646	298.00	—	—	—
26.	पन्ना	55.212	319.30	—	—	—
27.	रायगढ़	143.354	846.56	676.00	390.00	—
28.	रायपुर	217.684	1035.29	965.00	120.00	—
29.	रायसेन	71.850	443.39	—	—	—
30.	राजगढ़	58.406	338.60	—	—	—
31.	राजनंद गांव	138.632	740.73	570.00	180.00	—
32.	रतलाम	67.626	456.58	—	90.00	—
33.	रीवा	101.610	488.01	—	—	—
34.	सागर	130.220	434.55	—	—	—
35.	सतना	97.194	558.60	—	—	—
36.	सरगुजा	270.836	1024.37	773.00	240.00	—
37.	शाहडौल	135.792	837.17	-713.00	360.00	163.50
38.	शाजापुर	86.754	328.63	—	—	—
39.	शिवपुरी	84.474	418.43	—	—	—
40.	सिद्धि	78.964	592.09	573.00	240.00	210.00
41.	सिहोर	58.652	396.41	—	—	—
42.	सिवनी	86.004	727.34	706.00	150.00	—
43.	टिकमगढ़	68.546	309.04	—	—	—
44.	उज्जैन	80.436	415.95	—	—	—
45.	विदिशा	78.180	393.20	—	—	—

Funds allocated to Punjab under JRY

2807. SHRI IQBAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the amount of funds allocated to the State of Punjab under the Jawahar Rozgar Yojana during the period 1993-94 and 1994-95 and the amount utilized out of it so far; and